सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2019/22 दर्ज तिथिः–15.07.2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी खारिया तह. व जिला चूरू राजस्थान
2. उपपंजीयक, चूरू

..................रेस्पोडेन्टान

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– पैराकार राज
प्रत्यर्थीः– सुरेन्द्र डुडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधिनिधयम
अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम खारिया की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 437/335 तादादी क्रमशः 1.0623 हैक्टेयर में से 0.0417 हैक्ट. किस्म भूमि बारानी जो राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी बारानी कृषि भूमि दर्ज है। यह कि उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थीगण खातेदारों को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक है, ने भूमि संचित या असिंचित रू‍ में फसल हेतु ही दी गई है। जिसके करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है वकिसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य [illegible] में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन अनु[illegible] कर ही उपयोग में लिया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

सकता है। वर्णित भूमि पर अप्रार्थी सं. 01 के खातेदारों द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि की मिट्टी का कटाव कर भूमि का अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु समतल कर दिया है व भूमि पर पक्का ढाबा/ होटाल निर्माण कार्य करके भूमि की प्रकृति बदलने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। उपर्युक्त वर्णितानुसार कृत्यानुसार विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटाई जाने योग्य हो गई है, एवं अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने योग्य हो गई है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को बेदखल करने व उक्त भूमि को सिवचायचक राजकीय घोषित करने हेतु प्रार्थीन ने वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी राज्य सरकार के सफल होने की पूरी –पूरी संभावना है। अतः यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया कया तो प्रार्थी पक्ष को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम खारिया की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 437/335 जसउसउर क्रमशः 1.0623 हैक्टेयर में से 0.0417 हैक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि पर ता. फैसला दावा अप्रार्थीगण को कृषि कार्य करने, फसल काटने एवं किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने के अलावा अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं करने तथा किसी प्रकार के पक्का ढाबा/होटल निर्माण कार्य विक्रय पत्र सम्पदित नहीं करने, पंजीबद्ध नहीं करने एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

2. प्रार्थीना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्रडुडी ने उपस्थिति होकर वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. 01 ने अपनी फसलों की उपज अनाज, चारा, कुतर आदि रखने, अपने पशुधन के लिए कच्चे पक्के दो ठावात उक्त कृषि भूमि के एक कोने पर बना रखे है अप्रार्थी सं. 01 के कोई पक्का ढाबा/होटल का निर्माण नहीं किया गया है व नही भूमि की प्रकृति बदली है इस कारण प्रथम दृष्ट्या प्रकरण कतई राज्य पक्ष नही बनता है। यह कि प्रार्थी की ओर से न तो भूमि की किस्म बदली है तथा नही कोई हानीप्रद कार्य कर कृषि भूमि को कोई क्षति पंहुचाई है। हल्का पटवारी द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद नहीं किया गया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके लिए उसे पाबंद किया जा सके अप्रार्थी को पाबंद करने का कोई साक्ष्य या प्रमाण पत्रावली पर नहीं है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद करना न तो न्यायोचित है आवश्यक है इस कारण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पख में कतई नहीं बनता है। हल्का पटवारी की ऐसी रिपोर्ट जिसको किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा स्त्यापित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र किसी भी सूरत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं

3. जवाब प्राप्त होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अनुसार खातेदारी भूमि में से से लगभग 0.0417 हैक्टेयर भूमि का अकृषि उपयोग यथा-चाय पानी का ढाबा होटल पक्का निर्माण कर रहा है। उक्त भूमि पर 1045 वर्गफीट भूमि पर पक्का निर्माण कर रखा है निश्चित रूप से। नीचे प्रस्तुत है प्रार्थी (राज्य सरकार) की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम खारिया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 437/335, क्षेत्रफल 1.0623 हैक्टेयर, किस्म बारानी, जो अप्रार्थी संख्या 01 (सुरेन्द्र कुमार) के नाम खातेदारी में दर्ज है, उसमें से 0.0417 हैक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये अकृषि उपयोग किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि राज्य की है, जो केवल कृषि उपयोग हेतु खातेदार को प्रदत्त की गई थी। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर मिट्टी की खुदाई कर, समतलीकरण कर ''ढाबा/होटल जैसे पक्के निर्माण'' किए जा रहे हैं, जिससे भूमि की कृषि प्रकृति परिवर्तित हो रही है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, कृषि भूमि का किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग ''केवल पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है'', अतः यह कार्य नियमविरुद्ध है। वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को उक्त भूमि पर कोई निर्माण, विक्रय, या अकृषि उपयोग करने से ''निषिद्ध (Restrain)'' किया जाए तथा ''मौका एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखने'' हेतु ''अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction)'' प्रदान की जाए अन्यथा, राज्य सरकार को 'अपूर्णीय क्षति' होगी। अप्रार्थी (सुरेन्द्र कुमार) का उत्तर इस प्रकार है कि

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डूडी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि अप्रार्थी ने किसी प्रकार का होटल या ढाबा निर्माण नहीं किया है। केवल अपनी फसल, चारा एवं पशुधन हेतु अस्थायी 'कच्चे-पक्के ठांवले' (शेड/छप्पर) बनाए गए हैं। भूमि की प्रकृति यथावत कृषि ही है, कोई भी अकृषि उपयोग नहीं हुआ है। पटवारी की रिपोर्ट एकतरफा है, किसी स्वतंत्र साक्षी से प्रमाणित नहीं की गई है। किसी भी अधिकारी ने अप्रार्थी को पूर्व में इस विषय में कोई चेतावनी या नोटिस नहीं दिया। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग न्यायोचित नहीं है और सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) भी राज्य सरकार के पक्ष में नहीं बनता। पत्रावली एवं साक्ष्यों का अवलोकनःउभय पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अभिलेख का परीक्षण किया गया। ''पटवारी हल्का खारिया की रिपोर्ट'' के अनुसार अप्रार्थी द्वारा खातेदारी [illegible] खसरा संख्या 437/335 के एक भाग, क्षेत्रफल लगभग ''0.0417 हैक्टेयर [illegible] कार्य किया गया है'',

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

जिसका उपयोग 'चाय–पानी का ढाबा/होटल' स्वरूप में हो रहा है। निरीक्षण के अनुसार यह निर्माण लगभग ''1045 वर्ग फीट भूमि'' पर पाया गया है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भूमि के एक भाग का उपयोग वास्तव में अकृषि प्रयोजन में हो रहा है। हालांकि, इस अवस्था में यह भी प्रत्यक्ष है कि संपूर्ण भूमि नहीं बल्कि उसका एक सीमित भाग प्रभावित हुआ है।

प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कृषि भूमि राज्य के स्वामित्व में है, तथा खातेदार को 'कृषि प्रयोजन हेतु' दी गई है। भूमि का अकृषि उपयोग 'राज्य की अनुमति के बिना' किया जाना ''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(अ)'' का उल्लंघन है। प्रथम दृष्टया (Prima Facie) यह पाया गया है कि भूमि पर पक्का निर्माण विद्यमान है, जो कृषि उपयोग से भिन्न है। ऐसी स्थिति में, यदि मुकदमे के अंतिम निर्णय तक अप्रार्थी को रोक नहीं लगाया गया तो भूमि की प्रकृति में स्थायी परिवर्तन हो सकता है जिससे राज्य को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी। अतः 'सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)' प्रार्थी (राज्य) के पक्ष में बनता है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों, बहसों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है प्रार्थी की प्रार्थना न्यायसंगत प्रतीत होती है। अतः वाद के अंतिम निस्तारण तक ''अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction)'' जारी की जाती है कि (श्री सुरेन्द्र कुमार) को खसरा नं. 437/335, क्षेत्रफल 1.0623 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार का नया ''पक्का निर्माण कार्य, ढाबा/होटल संचालन, विक्रय पत्र निष्पादन या पंजीयन कार्य'' करने से रोका जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.07.2019 ता फैसला दावा पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–1)
उपखण्ड अधिकारी
(चूरू)चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested